नये कार्य

संख्या–3431/बयालिस–2010–18(कालेज)/2007

प्रेषक,

कुमार अरविन्द सिंह देव
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेलकूद अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 12 जनवरी, 2011

विषयः–जनपद–सहारनपुर में स्पोर्ट्स कालेज के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–जी 602/नि0सहारनपुर स्पोर्ट्स कालेज/2010–11, दिनांक 01–11– 2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2010 –11 में जनपद–सहारनपुर की तहसील बेहट में स्पोर्ट्स कालेज के निर्माण हेतु रू0 86,63,92,000/–(रू छियासी करोड़, तिरसठ लाख, बानबे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं रू0 10.0000000/– (रू0 दस करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है :–

I– उपरोक्त स्वीकृत धनराशि रू0 10.0000000/– (रू0 दस करोड़ मात्र) निदेशक खेल द्वारा कोषागार से आहरित करके संबंधित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2010–11 में उपलब्ध परिव्यय एवं बजट सीमा के अन्तर्गत दी जा रही है।

II– प्रशासकीय विभाग के द्वारा प्रस्तावित कार्यो की प्राथमिकता निर्धारित करने के उपरान्त ही कार्य कराया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पूर्व में इस योजना हेतु किसी अन्य स्रोत से धनराशि न दी गयी हो, न ही प्रश्नगत कार्य किसी कार्य योजना में वित्तपोषण हेतु प्रस्तावित है।

III– प्रश्नगत कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व डी0पी0आर0 बनाते हुए शासनादेश दिनांक 2 मई 2006 के आलोक में सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।

IV– कार्यो को पूर्णगुणवत्ता/ मानको एवं विशिष्टियों के अनुरूप स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा, तथा पुनरीक्षित लागत की मांग नहीं की जायेगी। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निदेशक, खेल का होगा।

V– स्वीकृत धनराशि का आहरण फेजिंग करते हुए दो किश्तो में किया जायेगा तथा द्वितीय किश्त का आहरण प्रथम किश्त के 75 प्रतिशत व्यय एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात किया जायेगा । स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा। कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यो हेतु मानकानुसार निर्विवाद भूमि उपलब्ध है।

VI–परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन के सम्बन्ध में दिनांक 1 जुलाई, 2002 में दिए गये निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

VII–प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा । प्रश्नगत कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति

द्विरावृत्ति न हो इसे निदेशक खेल एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

VII– प्रायोजना को निर्धारित समय में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना की लागत को दृष्टिगत रखते हुए विभाग के सक्षम स्तर द्वारा प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की आपस में प्राथमिकता निर्धारित की जाये, तथा निर्माण कार्यो हेतु धनराशि की उपलब्धता के अनुसार प्रस्तावित कार्यो की फेजिंग इस प्रकार सुनिश्चित की जाये कि प्रायोजना पर होने वाले विनियोजन का लाभ क्रमिक रूप से मिलता रहे तथा प्रायोजना पर हुआ व्यय निरर्थक न रहने पाये ।

VIII–विभाग द्वारा खेल जगत से जुड़े हुए राष्ट्रीय /राज्य स्तर के विशेषज्ञो की विभाग के सक्षम स्तर पर एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन इस उद्देश्य के साथ किया जाय, जिसे प्रस्तावित निर्माण कार्य राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मानको के अनुरूप सुनिश्चित हो सकें।

IX–प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन के सापेक्ष प्रायोजना के अन्तिम रूप से अनुमोदित ड्राइंग/डिजाइन इत्यादि के आधार पर प्रायोजना की मात्राओं एवं लागत में यदि 5 प्रतिशत से अधिक का विचलन होता है तो उस स्थिति में प्रायोजना की वित्तीय स्वीकृति के 03 माह के अन्दर विभाग द्वारा विस्तृत आगणन पर व्यय वित्त समिति से पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

2–उक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2010–11 में अनुदान संख्या–22 के लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– आयोजनागत–03 खेलकूद तथा युवा सेवा–800 अन्य व्यय–10 स्पोर्ट्स कालेज सहारनपुर –24 वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3–उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या–ई–5–41/ दस–2011 दिनांक : 12–1–2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
12.1.11
(कुमार अरविन्द सिंह देव)
प्रमुख सचिव।

संख्या–3431 (1)/बयालिस–2010–तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार, उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2–महालेखाकार (लेखा परीक्षा)प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3–कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ/आदर्श कोषागार कलेक्ट्रेट कम्पाउण्ड लखनऊ।
4–जिलाधिकारी /कीड़ाधिकारी सहारनपुर ।
5–प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, विभूति खण्ड गोमतीनगर, ,लखनऊ।
6–वित्त (आय–व्ययक)अनुभाग–1/2
7–वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग–5
8–नियोजन अनुभाग–4
9–मीडिया सलाहकार मा0 मुख्यमंत्री जी उ0प्र0शासन।
10–निजी सचिव मा0 मंत्रीजी/ प्रमुख सचिव, खेल एवं युवा कल्याण उ0प्र0 शासन।
11–क्षेत्रीय कीड़ाधिकारी, सहारनपुर मण्डल।
12–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(अनिल कुमार)
अनु सचिव।